अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/81

1. धन्नालाल आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
2. कैलाश आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
3. श्रीलाल आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
4. श्रीनाथ आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 543/दावा/2009

1. धन्नालाल आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
2. कैलाश आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
3. श्रीलाल आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
4. श्रीनाथ आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.09.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11.9.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/81

1. धन्नालाल आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
2. कैलाश आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
3. श्रीलाल आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।
4. श्रीनाथ आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी कैथून कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुधीन्द्र यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर पुराना 214 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में खातेदार पूनमचन्द वल्द बिरधीलाल कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा थे जिनसे वादीगण ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था तब से ही उक्त भूमि पर वादीगण बहैसियत मालिक खातेदार काबिज चले आ रहे हैं । उक्त भूमि का इंतकाल नम्बर 285 खोला जाकर दिनांक 22.01.93 को तस्दीक कर वादीगण के खाते दर्ज की जा चुकी है जिसका अमल राजस्व रिकॉर्ड में भी कर दिया गया है । बाद सेटलमेंट उक्त आराजी का नया खसरा नम्बर 330 रकबा 0.94 हैक्टर क़ायम किया गया जो कि पूर्व रकबे से लगभग 01 बीघा 17 बिस्वा कम है जबकि मौके

पर पूर्वानुसार करबा 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि मौजूद है जिस पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । सेटलमेंट विभाग को वादीगण के रकबे को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने रकबे की कमी को पूर्ति करवाये ।

3. अतः दावा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार से डिक्री किया जावे कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पुराना खसरा नम्बर 214 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 330 रकबा 0.94 हैक्टर कायम किया जाकर पूर्व रकबे से 01 बीघा 17 बिस्वा कम कर दिया गया है जबकि मौके पर ही पूरी भूमि पूर्व रकबे के मुताबिक है को वादीगण का पूरा रकबा कर वादीगण का पूर्व रकबे अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जावे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती इन्द्राज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.01.2014 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलान्ट ने पूर्व खातेदार पूनमचन्द आत्मज बिरधीलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है जिसका इंतकाल दिनांक 22.01.1993 से इंतकाल संख्या 285 तस्दीक किया गया हे जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है । उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय को दुरूस्त करने का आदेश देना चाहिए था । रेस्पोडेन्ट द्वारा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 15.04.2006 पेश की गई जिससे साबित हो गया कि मौके पर अपीलान्ट पूर्ण रकबे पर काबिज हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान न देकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया । वादीगण अपीलान्ट की भूमि के समीप खसरा नम्बर 321 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि स्थित है जो गै0मु0 रास्ता दर्ज है परन्तु रास्ता के उपयोग में नहीं आ रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलान्ट का दावा खारिज करने में भूली की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया कि ग्राम कैथून की खसरा नम्बर 214 की रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा आराजी को अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था और दिनांक 22.01.1993 को अपीलान्ट के पक्ष में इंतकाल दस्दीक किया गया था । उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 330 रकबा 0.94 हैक्टर दर्ज किये जो पूर्व रकबे से 01 बीघा 17 बिस्वा कम दर्ज किया गया गया है । उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए दावा पेश किया गया था । मौके पर अपीलान्ट पूर्वानुसार काबिज काश्त है । सेटलमेंट विभाग को अधिकार नहीं है कि वह किसी के रकबे को कम कर दे या बडा दे । रेस्पोडेन्ट के द्वारा न तो कोई साक्ष्य पेश की गई और न ही जवाब पेश किया गया । पैमाईश रिकपोर्ट दिनांक 15.04.2006 पेश की गई है जिससे भी साबित हो गया कि

मौके पर अपीलान्ट पूर्ण रकबे पर काबिज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ध्यान न देकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अपीलान्ट के खसरा नम्बर 330 रकबा 0.94 हैक्टर के समीप खसरा नम्बर 321 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि स्थित है जो गै0मु0 रास्ता दर्ज है परन्तु रास्ता के उपयोग में नहीं आ रही है तथा उस पर काश्त होती है खसरा नम्बर 330 तथा खसरा नम्बर 321 के मध्य कोई मेड नहीं है और एक ही खेत बना हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अपने दावे में यह अवगत नहीं करवाया कि उनकी कम की गई आराजी किस खसरा नम्बर में शामिल की गई है। वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में असल विक्रय पत्र प्रदर्श– 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 2 और 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2047–52 प्रदर्श– 5, नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी प्रदर्श– 6, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 प्रदर्श– 7, नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 प्रदर्श– 8, नकल खसरा पत्र भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श – 9 पेश किये गये हैं ।

10. पत्रावली पर एक रिपोर्ट पटवारी हल्का भी संलग्न है इसके अलावा नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 खाता संख्या 01 संलग्न है । इसके अलावा बयान कैलश पुत्र चतुर्भुज के कराये गये हैं ।

11. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि उनके खाते की आराजी सेटलमेंट विभाग के द्वारा गलत रूप से कम की गई है, अतः उनका रकबा दुरूस्त किया जावे परन्तु दावे में पेश किये दस्तावेजात में यह अवगत नहीं करवाया गया है कि उनका रकबा कम करके किस खसरा नम्बर का रकबा बढा दिया गया है । वादी को स्वयं अपने दावा सिद्ध करना होता है । इस हेतु वादी को स्वयं की नकल जमाबन्दी के साथ–साथ अन्य खसरा नम्बरान जिसमें कि उनके खाते का रकबा शामिल किया गया हो उनकी जमाबन्दियॉ व मिलान क्षेत्रफल भी पेश करनी चाहिए जो उनके द्वारा पेश नहीं की गई हैं । पत्रावली पर जो रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है वो भी अस्पष्ट है उसके अनुसार ख्सरा नम्बर 329 रकबा रकबा 0.13 हैक्टर जो खसरा नम्बर 330 के समीप है वो गै0मु0 रास्ता है यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरा नम्बर 329 रकबा 0.13 हैक्टर के साबिक खसरा नम्बर क्या थे । गै0मु0 रास्ते की आराजी को भी वादी के खाते में दर्ज किये जाने के आदश नहीं किये जा सकते । इस प्रकार वादी अपना दावा दस्तावेजी साक्ष्य से साबिक नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2014 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा